भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय,मुंबई
<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

विषय: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 30 हवाई अड्डों कों 'एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा टर्मिनल' घोषित किया गया है। भारत भर में 85 भाविप्रा हवाई अड्डे अब एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हैं।

मुंबई: 01.11.2019

भारत के माननीय पीएम ने साथी नागरिकों से प्लास्टिक बैग के उपयोग से बचने और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के उपयोग की आदत से छुटकारा पाने का आग्रह किया है। माननीय पीएम के स्पष्ट आह्वान पर और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए 55 भाविप्रा के एयरपोर्ट्स जैसे अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बागडोगरा, बेलगाम, भोपाल, भुवनेश्वर, भुज, कालीकट, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गया, गोरखपुर, गोवा, गुवाहाटी, इंफाल, इंदौर, जबलपुर, जामनगर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जोरहाट, कांगड़ा, खजुराहो, कोलकाता, लेह, लखनऊ मदुरै, मैंगलोर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, पुणे, राजमुंदरी, राजकोट, रायपुर, रांची, श्रीनगर, सिलचर, सूरत, तूतीकोरिन, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम को 'एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है।

30 अगस्त, 2019 तक प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा टर्मिनल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल के तहत, भाविप्रा द्वारा अक्टूबर, 2019 तक शेष 30 परिचालनात्मक भाविप्रा हवाई अड्डों को 'सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट टर्मिनलों' के रूप में बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। तदनुसार, गुणवत्ता थर्ड-पार्टी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किए गए गुणवत्ता आकलन के आधार पर भाविप्रा के 30 हवाई अड्डे जैसे अगाती, आदमपुर, आगरा, भटिंडा, भावनगर, बीकानेर, दीव, ग्वालियर, हुबली, जैसलमेर, जलगाँव, झारसुगुड़ा, कडप्पा, कांडला, कानपुर, किशनगढ़, कोल्हापुर, कुल्लू, लिलाबारी, मैसूर, मैसूर, पाक्योंग, पंत नगर, पठानकोट, पोरबंदर, पुडुचेरी, सलेम, शिलांग, शिमला और तेजपुरहावे को 28 अक्टूबर, 2019 को 'एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा टर्मिनल' घोषित किया गया है।

भाविप्रा द्वारा यात्री टर्मिनलों और भाविप्रा हवाई अड्डों को एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं से मुक्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक प्लेट आदि पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

पर्यावरण संरक्षण को एक संवैधानिक संगठनात्मक मिशन बनाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक पर्यावरण नीति बनाई है जो पर्यावरण संरक्षण और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए लागत प्रभावी कार्बन शमन कार्रवाई को लागू करके ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) की कमी और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता की परिकल्पना करती है। इस प्रकार समाज, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करते हैं।

इस नीति के एक भाग के रूप में, भाविप्रा कार्बन पदचिह्न को कम करके पर्यावरण दायित्व को पूरा करने के लिए सभी कर्मचारियों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के प्रति जागरूक और प्रतिबद्ध है। एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को बाधित करने के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, भाविप्रा विभिन्न हितधारकों के साथ अपने हवाई अड्डों का आंतरिक ऑडिट कर रहा है।

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग, पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय, मुंबई द्वारा जारी
जानकारी के लिए संपर्क करें
प्रबंधक (सी. सी.) - 022-20880631, 29217404
प्रेस विज्ञप्ति सं. 24 / 2019-2020